भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 760
सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए कंपनियों के साथ साझेदारी

760. श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से वैश्विक महामारी के दौरान देश में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किसी कंपनी के साथ साझेदारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि गुजरात के पर्यटन उद्योग को अधिकतम लाभ हो?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार, इसके आकार, संरचना और मौजूदा क्षमता पर एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए EaseMyTrip.com, Cleartrip Pvt Ltd और Yatra Online Pvt Ltd नामक तीन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) के तहत, आतिथ्य उद्योग के लिए प्रासंगिक सेवाएं [जैसे साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) स्टार वर्गीकरण आदि के माध्यम से कोविड-19 के प्रति तैयारियों में सहायता] प्रदान की जा सके।

इसके अलावा, 'एक विरासत को अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान', पहल पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट नागरिकों/ गैर सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को पर्यटन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास और उन्नयन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(ग): गुजरात सहित देश में पर्यटन उद्योग के लाभ के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय अनुबंध में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए कंपनियों के साथ साझेदारी के संबंध में दिनांक 07.02.2022 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 760 के भाग (ग) के उत्तर में **विवरण**

(i) यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली हेतु परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और इन सभी हितधारकों के बीच परिचालित किया गया हैं ।

(ii) कोविड-19 के बाद के पुनुरूत्थान की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बी एंड बी/होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए और जारी कर दिए हैं ताकि व्यवसाय को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके ।

(iii) होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

(iv) पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हितधारकों को घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के लिए दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच बढ़ाने हेतु, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान हो सकें, संशोधित किया गया है । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है ।

(v) होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुन: अनुमोदन और वर्गीकरण/पुन: वर्गीकरण समाप्त हो गई है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है ।

(vi) विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

(vii) 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (नि:शुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी ।

(viii) कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता । इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगे । टीटीएस प्रत्येक 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि पर्यटक गाइड प्रत्येक 1 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फौजदारी/पूर्व भुगतान शुल्क की छूट और अतिरिक्त

संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी । योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा ।

(ix) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है ।

*****